

27/03/2018 वहुलाय उप०

मूल अपील के साथ पत्रावली दि. 27/3/2018 को पेश की।

म

अति. जिला कलेक्टर, पारंग

27/03/2018

वहुलाय उप०।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल अपील में बहस सुनी जा चुकी है। इस स्थिति में ख्यात प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल अपील के नती हो।

अति. जिला कलेक्टर, पारंग